[अध्यक्ष महोदय]

वर्तमान संसद् जब आई तब से लोक-सभा के १४ सत्रों में ८७,६७५ प्रश्नों की पूर्व सूचनायें प्राप्त हुईं जिन से ४३,५६२ प्रश्न लोक-सभा में पूछे गये और उन के उत्तर दिये गये। अभी जो वर्ष बीता है उस में प्रश्नों की संख्या सर्वाधिक, अर्थात् २२,६५१ थी। इन आंकड़ों से हमें पता लग जायेगा कि हमारी संसदीय कार्यवाही में प्रश्न काल का कितना महत्व है।

संसद् के सामने आने वाले सभी मामलों के बारे में सदस्यों को नवीनतम जानकारी का ज्ञान कराने के उद्देश्य से रिसर्च एंड रेफरेन्स ब्रांच की काफी बढ़ा दिया गया है। यह ब्रांच १९५० में बनाई गयी थी और उस समय बहुत छोटी थी पर अब इस का बहुत विस्तार हो गया है। इस ब्रांच ने बहुत काम किया है। इस ब्रांच का काम महत्वपूर्ण विधानों के सम्बन्ध में पुस्तक सूचियां, सर्वाधिक रुचि के कुछ विषयों पर पुस्तिकायें, चुने हुए लेखों की मासिक सूची, एब्सट्रेक्टिंग सर्विस, डाइजेस्ट आफ सेन्ट्रल ऐक्ट्स और जूरिडिकल डाइजेस्ट तैयार करना है।

अपना भाषण समाप्त करने के पूर्व मैं अपने प्रिय प्रधान मंत्री तथा सभा नेता को आभारपूर्ण धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस सभा की सम्पूर्ण अवधि में दिवंगत अध्यक्ष को तथा मुझे अपना सहयोग तथा अपनी सद्भावना प्रदान की। वह केवल भारत के ही महान पुरुष नहीं हैं बल्कि, मुझे विश्वास है, प्रत्येक व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि वह आज दुनिया के सर्व श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ तथा राजनीतिज्ञ हैं। उन के दिल में संसदीय प्रथाओं तथा प्रक्रियाओं के लिये जो सम्मान है उस से हमें सदैव शक्ति प्राप्त हुई है और उस से इस देश में संसदीय लोकतन्त्र के सफल संचालन में काफी बल मिला है। मैं विभिन्न वर्गों के नेताओं तथा इस सभा के सभी सदस्यों को भी हार्दिक धन्यवाद दूंगा। जिन्होंने बिना किसी शिकायत के और इतनी उदारतापूर्वक अपना सहयोग प्रदान किया। यदि उन का सहयोग और उन की सद्भावना हमें प्राप्त न होती तो इस सभा की कार्यवाही को ऐसे ढ़ंग से, जो इस देश की ख्याति के लिये उचित हो, चलाने तथा आगे बढ़ाने में सफलता मिलना संभव नहीं था। कुछ सदस्य इस सभा में निर्वाचित हो कर वापस नहीं आयेंगे, कुछ दूसरी सभा के लिये निर्वाचित हो गये हैं, कुछ राज्य विधान-मंडलों में चले गये हैं और कुछ निर्वाचन में खड़े नहीं हुए। देश की सेवा अनेक कार्य क्षेत्रों से की जा सकती है; यह कोई जरूरी नहीं कि वे संसद् में आकर ही सेवा कर सकते हों। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हों ने संसद् में जो अनुभव प्राप्त किया है और उन में जो गुण हैं उन से इन क्षेत्रों में पूरा पूरा लाभ उठाया जायेगा।

मैं आप सभी लोगों के लिये शुभकामनायें करता हूं। जय हिन्द!

†**प्रधान मंत्री, वैदेशिक कार्य तथा प्रतिरक्षा मंत्री और सभा के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू):** श्रीमान् आप ने इस सभा के सदस्यों के प्रति अत्यन्त उदारतापूर्ण बातें कही हैं और मेरे विषय में भी कुछ बातें कह कर मुझे एक अजीब उलझन में डाल दिया है। आप ने तो उदारतावश ये बातें कहीं हैं, लेकिन जो भी हो, जहां तक मेरा संबंध है, मैं तो इन शब्दों के लिये आप के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि आप की अत्यन्त कृपा पूर्ण बातों के लिये मैं सभा की ओर से आप को धन्यवाद दे कर सभा के मन की बात ही पूरी कर रहा हूं।

आज, जब कि इस सभा का विघटन होने वाला है, यह उचित ही है कि अपने विगत संभरणों का उल्लेख किया जाये। क्योंकि स्वयं आप ने इस संसद् के कार्यों का उल्लेख करने की कृपा की है, इसलिये मैं भी इस अवसर पर अपनी ओर से, और संभवतः यहां बैठे अन्य सदस्यों की ओर से भी, कुछ शब्द कहने की धृष्ठता कर रहा हूं।

जैसा कि आप कह चुके हैं, इन पांच वर्षों में हम ने बहुत कार्य किया है, यह कहा नहीं जा सकता कि यहां जो भाषण दिये गये वे कितने लाख पृष्ठों में आयेंगे, प्रश्न भी पूछे गये हैं और कुल मिला कर बहुत

†मूल अंग्रेजी में।

ज्यादा कागज खर्च किया गया है। लेकिन फिर भी भावी इतिहासकार इस बात पर ज्यादा जोर नहीं देगा कि कुल कितने भाषण दिये गये अथवा इन भाषणों में कुल कितने घंटे लगे या कि कुल कितने प्रश्न पूछे गये, वरन् उनका ध्यान उन अधिक गहरी बातों की ओर जायेगा, जिन से मिल कर कि राष्ट्र बनता है।

भारत की सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न संस्था इस संसद् में जिस पर भारत के शासन का दायित्व है हम बैठे हैं। निश्चय ही इस सम्पूर्ण प्रभुता-सम्पन्न सभा की, जो इस देश के विशाल जन-समूह के भाग्य का निर्णय करती है, सदस्यता से बढ़ कर उत्तरदायित्व का या इस से भी बड़ा विशेषाधिकार दूसरा नहीं हो सकता। हम सभी ने, यदि सदैव नहीं तो कभी कभी तो उस जिम्मेदारी और कार्य की महत्ता को अवश्य ही समझा होगा जिस के लिये हमें यहां लाया गया है। हम उस के योग्य हैं या नहीं यह दूसरी बात है। इसलिये, इन पांच वर्षों में हम इतिहास के तटस्थ दर्शक मात्र नहीं रहे हैं। वरन् हम ने स्वयं इतिहास का निर्माण किया है।

समस्त विश्व की जनता के ही समान हम ऐसे समय में यहां रहे हैं जब कि विश्व में महान परिवर्तन, बड़े बड़े उलट फेर और कहीं कहीं तो महान क्रान्तियां हुई हैं। हम विश्व रंगमंच के एक अंग ही नहीं बन रहे, वरन् हमारे राष्ट्रीय रंगमंच पर भी अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। यदि कोई ब्योरे की असंख्य बातों में उलझे बिना दूर से पांच वर्षों के इस नाटक को देखे वह देखेगा कि इतिहास की धारा इस देश में कैसे बही, कहां तक बढ़ी, उस ने कौन-कौन से परिवर्तन किये हैं। कुछ वर्ष पहले हमने, भारत की जनता ने, भारत के जिस गणतन्त्र का निर्माण किया उस की नींव को इस ने कहां तक सुदृढ़ किया है—तो उसे काफी दिलचस्पी महसूस होगी। यही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम ने कितने भाषण दिये थे या कितने प्रश्न पूछे थे, भले ही यह सच हो कि हम जिस संसदीय प्रणाली के समर्थक हैं उस के कार्य का तरीका निर्धारित करने में भाषणों और प्रश्नों का अपना महत्व और स्थान होता है।

हमने संसदीय लोकतन्त्र की इस प्रणाली को जानबुझ कर चुना है, हम ने इसे सिर्फ इसीलिये नहीं चुना कि हम पहले भी सदैव इसी ढंग से सोचते रहे हैं—वरन् इसे हम ने इसलिये चुना है क्योंकि हमारा ख्याल था कि यह हमारी प्राचीन परम्पराओं के भी अनुकूल है। स्वाभाविक है कि प्राचीन परम्पराओं से मेरा तात्पर्य यही नहीं कि वे परम्परायें अपने मूल रूप में कायम हैं—वरन् वह अपनी नयी परिस्थितियों के अनुरूप बन चुकी हैं। हम ने इसे इसलिये भी चुना—जिन्हें इस का श्रेय मिलना चाहिये उन्हें हम इस का श्रेय क्यों न दें—क्योंकि दूसरे देशों में, विशेष रूप से इंगलैंड में इस का कार्य करने का ढंग हमें पसन्द आया था।

इसलिये चाहे वह हमारे प्रश्नों के संबंध में हो, चाहे हमारे प्रक्रिया-नियमों के सम्बन्ध में हो अथवा हमारे कार्य के ढंग के बारे में हो, यह संसद्, यह लोक-सभा पूरी तरह नहीं तो भी काफी हद तक ब्रिटिश पार्लमेंट अथवा ब्रिटिश लोक सभा की तरह ही बन गयी है।

संसदीय लोकतंत्र के लिये कई चीजों की आवश्यकता होती है—इसके लिये निश्चय ही योग्यता की आवश्यकता होती है। हर काम की तरह इसमें भी कार्य के प्रति निष्ठा की भी आवश्यकता होती है। परन्तु, साथ ही इसमें बड़ी मात्रा में सहयोग, आत्म अनुशासन और संयम की भी आवश्यकता होती है। यह स्पष्ट है कि जब तक कि प्रत्येक सदस्य और वर्ग में काफी सहयोग, संयम और आत्म-अनुशासन की भावना न हो तब तक यह सभा अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह नहीं कर सकती है। संसदीय लोकतंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे किसी जादू की छड़ी अथवा किसी जल्दी के तरीके से किसी देश पर थोपा जा सके। हम इसकी चर्चा तो बहुत करते हैं, परन्तु हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि विश्व में ऐसे देशों की संख्या अधिक नहीं है जहां

यह सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। मेरा ख्याल है कि बिना किसी प्रकार के पक्षपात के यह कहा जा सकता है कि इस देश में इसने काफी सफलता के साथ कार्य किया है। ऐसा क्यों? इसलिये नहीं कि हमने, इस सभा के सदस्यों ने, ही सारी अक्ल का ठेका ले रखा था, बल्कि मेरे ख्याल से इसलिये कि हमारे देश की पृष्ठ-भूमि ऐसी है और क्योंकि हमारे देश के लोगों में लोकतंत्र की भावना मौजूद है।

इसलिये हमें यह याद रखना है कि संसदीय लोकतंत्र का मतलब क्या है। तेजी से बदलने वाली परिस्थितियों और असाधारण उथल-पुथल के इस युग में, साधारण परिस्थितियों की अपेक्षा परिवर्त्तन होना; परिवर्त्तन के साथ साथ अपने आपको नयी परिस्थितियों के अनुसार ढालना कहीं अधिक अनिवार्य होता है। यहां तक कि जब दुनिया में अच्छी शासन-व्यवस्था भी कायम थी, उसे भी सिर्फ इसी कारण से नयी शासन व्यवस्था को स्थान देना पड़ा था कि कहीं कोई अच्छी प्रथा ही दुनिया को बिगाड़ न दे। उसे बदलना ही पड़ता है। इसलिये, भारत ऐसे देश में, जहां, काफी अर्से तक प्रायः कोई भी फेर-बदल न हुई हो—इससे मेरा मतलब यह नहीं कि हमारे यह परिवर्त्तन सिर्फ इसलिये नहीं हुआ कि हम साम्राज्यवादी शक्तियों के गुलाम बने रहे, मेरा यह मतलब नहीं कि उस समय कोई भी परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन यह कि देश की बुनियादी परिवर्तन-शील शक्तियां विदेशी शासन के कारण दबी, सीमित और बंधी सी रही हैं—परिवर्तन इसलिये भी नहीं हुए कि अपनी ही बुराइयों, मानसिक सामाजिक और अन्य सभी प्रकार की बुराइयों में हम जकड़ गये थे। इसीलिये हमें अपने आपको अपनी ही बुराइयों और विदेशी शासन द्वारा लगायी गयी सीमाओं और प्रतिबन्धों दोनों से निकालना था। पिछली कमी को पूरा करने के लिये हमें तेजी से परिवर्तन करने थे। इसीलिये, अपना अस्तित्व बनाये रखने और साथ ही अपनी प्रगति के लिये परिवर्तन करना अनिवार्य था।

लेकिन जहां परिवर्तन आवश्यक है वहीं एक चीज और भी आवश्यक है और वह यह है कि थोड़ा बहुत क्रम भी बनाये रखना पड़ता है। परिवर्तन और क्रम में सदैव संतुलन रखना पड़ता है। कोई भी दिन दूसरे दिन की तरह का नहीं होता। हर दिन के साथ हमारी उम्र भी बढ़ती जाती है। परन्तु फिर भी हमारे अन्दर, राष्ट्र के जीवन में एक निरंतर, निर्बाध क्रम होता है। परिवर्तन और क्रम की इस प्रक्रिया में जितना ही अधिक संतुलन होता है, देश की प्रगति भी उतनी ही ठोस होती हैं। यदि केवल क्रम ही बना रहे और कोई परिवर्तन न हो तो स्थिरता और बुराइयां आ जाती हैं। यदि क्रम न हो और केवल परिवर्तन होते रहें तो इसका अर्थ यह होता है कि व्यवस्था की जड़ ही खुद जाती है और उस धरती से अलग रह कर जिसने उन्हें जन्म दिया है और पाला-पोसा है, किसी भी देश के लोग ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते, पनप नहीं सकते हैं।

इसलिये, मेरे ख्याल से संसदीय लोकतंत्र की इस प्रणाली में परिवर्तनशीलता और क्रम दोनों के ही सिद्धांत निहित होते हैं। यह इस प्रणाली को चलाने वालों का—संसद्, सभा के सदस्यों और उन असंख्य लोगों का, जो इस प्रणाली के ही एक अंग हैं—काम है कि वे क्रम के इस सिद्धांत के अधीन रहते हुए—क्योंकि क्रम के टूटते ही हम आधारहीन हो जाते हैं और संसदीय लोकतंत्र की प्रणाली छिन्न-भिन्न हो जाती है—परिवर्तन की गति को यथासंभव और इच्छानुसार तेज कर दें। संसदीय लोकतंत्र एक नाजुक पौधा है और क्योंकि यह पौधा पिछले कुछ वर्षों के भीतर ही पनपा और बढ़ा है इसलिये हम कह सकते हैं कि हम कुछ हद तक सफल हुए हैं। हम ने गम्भीर, कठिन समस्याओं का सामना किया है और उनमें से कइयों को हल भी किया है; परन्तु कइयों को अभी हल करना बाकी है। वैसे भी, हमारे सामने आने वाली समस्याओं का कभी अन्त भी नहीं होगा क्योंकि आगे बढ़ने में समस्याओं का सामने आना लाजमी है। केवल निष्क्रिय

लोगों की समस्यायें ही थोड़ी होती हैं और समस्याओं का न होना मौत की निशानी है। केवल मृतकों की कोई समस्यायें नहीं होतीं; जीवित लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और समस्याओं से जूझते हुए और उन पर विजय प्राप्त करते हुए ही वे बढ़ते जाते हैं। यह राष्ट्र की प्रगति की ही निशानी है कि हम सिर्फ समस्याओं को हल ही नहीं करते वरन् हल करने के लिये नयी समस्यायें भी तैयार करते जाते हैं।

इस प्रकार, ये पांच वर्ष बीत चुके हैं और हम अपने इतिहास के इस अध्याय की समाप्ति पर आ चुके हैं; और यही अन्त अचानक एक नये अध्याय के आरम्भ में विलीन हो जाता है और हम नये सिरे से काम शुरू करते हैं, क्योंकि यह अन्त और आदि हमारी अपनी सोची हुई चीजें हैं। राष्ट्र का जीवन तो निरंतर चलता रहता है। हम इस सभा से चले जायें या हमारा जीवन समाप्त हो जाये परन्तु राष्ट्र जीवित रहता है। इसलिये, जब हम इस अन्त पर खड़े हैं, जो कि आदि भी है, तब हम अपने पीछे मुड़कर देखते हैं और आगे की ओर भी देखते हैं। या यों कहें कि वर्तमान की देहलीज़ पर खड़े हो कर हम पीछे की ओर देखते तो हैं, परन्तु भविष्य की ओर हम और भी ज्यादा गौर से देखते हैं। हम ने जो काम शुरू किया था उसे पूरा करने के लिये हम उन अनेक बातों के बारे में सोच सकते हैं जो हमें करनी हैं और हम नये काम शुरू कर सकते हैं; परन्तु इन सब से ऊपर हमें यह देखना है कि हम इस देश में जिस लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं उसकी जड़ें कितनी मज़बूत, कितनी गहरी हैं, क्योंकि आखिर में जा कर इन्हीं जड़ों की गहराई के बल पर ही हम पनप और फलफूल सकेंगे, हम ने कितने कानून पास किये या कि विदेशों में हमारे कार्य क्या रहे, इस पर नहीं वरन् अपने चरित्र बल और दृढ़ता पर ही हम इस देश का विकास कर सकेंगे।

यह स्वाभाविक है कि संसदीय लोकतंत्र में कार्य के लिये शान्तिपूर्ण तरीके अपनाने पड़ते हैं, जो निर्णय किये जाते हैं उनको शान्तिपूर्ण ढंग से गृहण और स्वीकार करना होता है और यदि उन्हें बदलना भी हो तो उसके लिये शान्तिपूर्ण ढंग से प्रयास करना पड़ता है, अन्यथा वह संसदीय लोकतंत्र नहीं रहता। इसलिये यह अनिवार्य है कि हम लोगों को जो शान्ति की बहुत बातें करते हैं और शान्ति बनाये रखने में विश्वास करते हैं, यह याद रखना चाहिये कि शान्ति और लोकतंत्र की स्थापना भी केवल शान्तिपूर्ण ढंग से ही की जा सकती है, अन्य तरीकों से नहीं। हमारा देश एक महान् संगठित देश है, ऐसा देश है जो हमें प्रिय है, जिस पर हमें गर्व है। परन्तु उस पर गर्व करने का अर्थ यह नहीं है कि देश में हमें अकसर जिन गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या उन फूट डालने वाली प्रवृत्तियों की ओर से, जो बार-बार अपना सिर उठाती हैं और संसद् जिस लोकतंत्रात्मक प्रणाली का प्रतिनिधित्व करती है उन्हें चुनौती देती हैं, हम अपनी आंखें बन्द कर लें। इन फूट डालने वाली प्रवृत्तियों को, जो हमें एक दूसरे से अलग कर देती हैं और जो भारत की एकता को नष्ट कर देना चाहती हैं, अपने विचारों तक में भी जिस सीमा तक अंत करेंगे उतना ही हमारा देश सुदृढ़ होगा और भविष्य के लिये भी उसकी नींव को हम उतना ही ठोस बना देंगे। इसलिये, श्रीमान्, मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

पिछले पांच वर्षों में इस सभा के सदस्यों ने मेरे प्रति जो सद्भाव प्रदर्शित किया है उसके लिये मैं सभा के नेता की हैसियत से, सभा के सारे सदस्यों को सविनय धन्यवाद देता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : लोक सभा अब अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है।

(इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।)

---

†मूल अंग्रेजी में